महिला कल्याण निदेशालय
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

पत्रांक– 484 /निदे0म0क0/नजा/पी0पी0पी0/2020–21, लखनऊ :दिनांक : 27नबम्बर, 2020

अभिरूचि की अभिव्यक्तिकरण (Expression Of Interest) (EOI)

जनपद लखनऊ एवं नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर में PPP (Public Private Partnership) मॉडल के आधार पर मानसिक मंदित, दृष्टिबाधित, मूक–बाधिर एवं शारीरिक विकलांगता से ग्रसित विशेष आवश्यकता वाली महिलाओं के लिये उच्चकोटि की विशेषीकृत सेवा सहित गृहों के निशुल्क संचालन हेतु संस्था की आवश्यकता है। चयनित संस्था द्वारा विशेष आवश्यकता वाली महिलाओं हेतु विशेषीकृत सेवा सहित गृहों के संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अपने वित्तीय संसाधनों से सुनिश्चित की जायेंगी। भवन, आधारभूत संरचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं भवन का अनुरक्षण, विद्युत, जलकर आदि पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा तथा संवासियों के आवासन, खानपान, चिकित्सा, वस्त्र, शिक्षा व स्टाफ आदि पर होने वाले समस्त आवर्तक व अनावर्तक मदों में होने वाले व्यय का वहन संस्था द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

आवश्यक शर्तें :–

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभिरूचि के अभिव्यक्तिकरण हेतु कम्पनी/ट्रस्ट/सोसाइटी (एकल अथवा संघ के माध्यम से) के मुख्य प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित अर्हता वाली संस्थाओं से पूर्ण प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता हैं:–

- मानसिक मंदित, दृष्टिबाधित, मूक–बाधिर, शारीरिक विकलांगता में से किसी भी श्रेणी की विकलागंता से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले गृहों/अस्पताल/आवासीय संस्था के संचालन का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
- आवेदन करने वाली संस्थायें अर्हता के मानक के अनुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र, संस्था का ब्रोसर एवं पिछले 05 वर्षों के आडिट किये हुए वित्तीय अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था एवं संस्था के मुख्य पदाधिकारी का कम से कम 03 वर्षों का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- अभिरूचि प्रदर्शित संस्थाओं की इनीशियल स्क्रीनिंग निदेशालय, महिला कल्याण विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसके समक्ष संस्थाओं को अपनी कार्ययोजना, कार्यों के विवरण का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।
- संस्था ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए तथा संस्था के पदाधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिये।
- ई0ओ0आई0 सील बंद लिफाफे के ऊपर "पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल के आधार पर विशेषीकृत सेवाओं सहित गृहों के संचालन के संबंध में अभिरूचि का अभिव्यक्तिकरण" मोटे–मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिये।
- यदि संस्था के पास मनावैज्ञानिक परीक्षण टूल, स्पीचथैरिपी टूल, भाषा थैरिपी टूल, विशेषीकृत प्रशिक्षण सामग्री आदि की मान्यता अथवा साक्ष्य उपलब्ध हैं तो उसे वरीयता प्रदान की जायेगी।
- संस्थाओं द्वारा विशेषीकृत गृहों के संचालन हेतु अपनी विस्तृत कार्ययोजना सहित पूर्ण प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा किसी भी कार्यालय दिवस में दिनांक–18 दिसम्बर .2020 की सायं 05 .बजे तक निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के जवाहर भवन, आठवें तल के कक्ष संख्या– 828 में जमा किया जा सकता है अथवा ई मेल directormahilakalyan@gmail.com पर भी प्रेषित किया जा सकता हैं।
- उपरोक्त गृहों का संचालन किसी एक संस्था को अथवा अलग अलग संस्थाओं को संचालन हेतु दिया जा सकता है। प्रत्येक जनपद में गृह के संचालन हेतु अलग–अलग एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
- विभाग द्वारा चयनित संस्था से विशेषीकृत गृहों के संचालन हेतु 05 वर्ष की कार्यावधि हेतु अनुबन्ध किया जायेगा, जिसे गुणवत्ता पूर्वक संचालन की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रति 02 वर्ष पर संस्थाओं के संचालन का मूल्यांकन किया जायेगा तथा संतोषजनक संचालन न पाये जाने की स्थिति में संस्था का संचालन कभी भी बन्द किया जा सकता है।
- निदेशक, महिला कल्याण द्वारा ई0ओ0आई0 के आवेदन को संशोधित करने, परिवर्धित करने, शर्तों को बढ़ाने एवं संशोधित करने तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- उपरोक्त के सम्बंध में श्री बी0एस0 निरंजन, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी से किसी भी कार्यदिवस में अथवा दूरभाष संख्या– 0522–2288780 व 7518024170 पर सम्पर्क कर संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

निदेशक,
(मनोज कुमार राय)
महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

www.upgov.nic.in
Upid- 157447 Dt. 02.12.2020